रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278093
CG-DL-E-20112026-278093

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 686] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2026/कार्तिक 28, 1948
No. 686] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2026/KARTIKA 28, 1948

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2026

सं. एल–1/261/2021/सीईआरसी.— केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) और धारा 40 के खण्ड (ग), धारा 38 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), धारा 2 के खण्ड (47) के साथ पठित धारा 178 की उप–धारा (2) के खण्ड (यङ) और धारा 178 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर–राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (चौथा संशोधन) विनियम, 2026 या 'चौथा संशोधन विनियम' है।

1.2 ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2.1 में नई परिभाषा

2.1 मूल विनियमों के विनियम 2.1 में खंड (ख) के बाद एक नया खंड, यथा, खंड (ख–i) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगाः

"(ख–i) "प्राधिकारी" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 के उप–खंड–6 में यथा परिभाषित है;"

2.2 मूल विनियमों के विनियम 2.1 में खंड (ब) के बाद चार नए खंड, यथा, खंड (ब–i), खंड (ब–ii), खंड (ब–iii) और खंड (ब–iv) निम्नानुसार अंतर्वेशित किए जाएंगेः

"(ब–i) "भूमि बीजी" से मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii)(ग) या खंड (xi)(ग) के अधीन प्रस्तुत की गई बैंक गारंटी अभिप्रेत है;

(ब–ii) "भूमि बीजी रूट" से इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) के अधीन कवर किया गया रूट अभिप्रेत है;

(ब–iii) "भूमि रूट" से इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) के अधीन कवर किया गया रूट अभिप्रेत है;

(ब–iv) "एलओए रूट" या "पीपीए रूट" से इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर किया गया रूट अभिप्रेत है;"

3. नया विनियम 3.10

3.1 मूल विनियमों के विनियम 3.9 के बाद एक नया विनियम, यथा, विनियम 3.10 निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"3.10 इन विनियमों के विनियम 3.7 से 3.9 में किसी बात के होते हुए भी, कोई इकाई निम्नलिखित के अध्यधीन संपूर्ण संयोजकता मात्रा (किसी आंशिक आहरण की अनुमति नहीं होगी) का आहरण मांगने की पात्र होगीः

(क) उन मामलों में जहाँ संयोजकता का अंतिम अनुदान जारी किया गया है और समयावधि दो वर्ष या उससे अधिक है;

(i) संयोजकता के सिद्धांततः अनुमोदन की सूचना की तारीख और संयोजकता के अंतिम अनुदान की सूचना की तारीख के बीच, या

(ii) संयोजकता के सिद्धांततः अनुमोदन में सूचित 'संयोजकता की संभावित आरंभ तारीख' और संयोजकता के अंतिम अनुदान में सूचित संयोजकता की आरंभ तारीख (अनंतिम या निश्चित) के बीच,

और

संयोजकता के अंतिम अनुदान की सूचना से 45 दिनों की अवधि के भीतर नोडल एजेंसी को आहरण के लिए अनुरोध किया गया है।

(ख) उन मामलों में जहाँ संयोजकता का अंतिम अनुदान संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान की सूचना की तारीख से दो वर्ष पूरा होने के बाद भी जारी नहीं किया गया है, ऐसी इकाई संयोजकता के सिद्धांततः अनुदान की सूचना से दो वर्ष पूरा होने से 45 दिनों की अवधि के भीतर, इस विनियम के अधीन संयोजकता की संपूर्ण मात्रा का आहरण भी मांग सकता है।

(ग) नोडल एजेंसी द्वारा आहरण को आवेदक को सूचित करते हुए आहरण आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर संसाधित किया जाएगा।

(घ) यदि नोडल एजेंसी द्वारा आहरण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है, तो सभी बीजी (कॉन–बीजी और भूमि बीजी, यथा लागू) वापस की जाएंगी।

(ङ) संयोजकता के आहरण पर आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।"

4. मूल विनियमों के विनियम 4.1 का संशोधनः

4.1 मूल विनियमों के विनियम 4.1 के खंड (ग) में शब्दों "लीड ईएसएस या लीड जेनरेटर" से पहले शब्द "विद्युत क्षमता (मेगावाट में) के दोगुना के रूप में न्यूनतम ऊर्जा क्षमता (मेगावाट घंटा में) के साथ" और शब्दों "लीड ईएसएस या लीड जेनरेटर" के बाद "या प्रणाली आवश्यकता के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित" जोड़े जाएंगे।

5. मूल विनियमों के विनियम 4.2 का संशोधनः

5.1 मूल विनियमों के विनियम 4.2 में शब्दों "विनियम 4.1" से पहले शब्दों "इन विनियमों के" और शब्दों "विनियम 4.1" के बाद शब्दों "और विनियम 5.1" को अंतर्वेशित किया जाएगा।

6. नए विनियम 4.7 और 4.8

6.1 मूल विनियमों के विनियम 4.6 के बाद नए विनियम, यथा, विनियम 4.7 विनियम और 4.8 निम्नानुसार जोड़े जाएंगेः

"4.7 पृथक रूप से 50 मेगावाट या उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ या लीड उत्पादक या लीड ईएसएस के माध्यम से 50 मेगावाट या उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के साथ कोई आरईजीएस या ईएसएस इन विनियमों के विनियम 4.5(क) के अधीन कवर किए गए के अलावा सबस्टेशनों पर गैर–सौर घंटा पहुंच के लिए संयोजकता मांग सकता है। आवेदन इन विनियमों के अनुबंध–IV के खंड 2क के अनुसार संसाधित किया जाएगा। सीटीयूआईएल, गैर–सौर घंटा पहुंच के लिए उपलब्ध मार्जिन के साथ ऐसे सबस्टेशनों की सूची प्रकाशित करेगा और इसे मासिक आधार पर अद्यतित करेगा।

4.8 इन विनियमों के विनियम 4.1 के अधीन संपूर्ण दिवस पहुंच के साथ संयोजकता के अनुदान हेतु आवेदन को, परामर्श बैठक के दौरान घोषित किए गए मार्जिन की उपलब्धता के आधार पर इन विनियमों के अधीन 'सौर घंटा पहुंच या' या 'गैर सौर घंटा पहुंच' के लिए आवेदन में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में, आवेदक के अपनी लिखित सहमति प्रस्तुत करने के बाद, नोडल एजेंसी सौर घंटा पहुंच या गैर सौर घंटा पहुंच, यथास्थिति, के साथ संयोजकता के अनुदान हेतु लागू उपबंधों के अनुसार ऐसा आवेदन संसाधित करेगी। इसका विपरीत भी लागू होगा।"

7. मूल विनियमों के विनियम 5.1 का संशोधनः

7.1 मूल विनियमों के विनियम 5.1 के द्वितीय परंतुक के बाद एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह भी कि अंतःक्षेपण बिंदु (पीओआई) (जैसा कि नोडल एजेंसी द्वारा अध्ययन के बाद पुष्टि की गई है) पर rduhdh अनुपालनों को पूरा करने के लिए क्षमता की संगणना आईएसटीएस पर संयोजकता मांगने के उद्देश्य हेतु संस्थापित क्षमता के अधीन नहीं की जाएगी।"

8. मूल विनियमों के विनियम 5.2 का संशोधनः

8.1 मूल विनियमों के विनियम 5.2 के खंड (क) शब्दों "आवेदन करेगा" से पहले शब्दों "(लागू करों सहित, क्षमता 50 मेगावाट और उससे अधिक के लिए रु. 5 लाख, और 50 मेगावाट से कम क्षमता के लिए रु. 1 लाख के साथ)" को अंतर्वेशित किया जाएगा।

8.2 मूल विनियमों के विनियम 5.2 के खंड (ज) के अंत में शब्द "(भूमि बीजी के मामले में, यह मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा या अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने वाली इकाई द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है)"।

8.3 मूल विनियमों के विनियम 5.2 के अधीन खंड (ट) के बाद चार नए खंड, यथा, खंड (ठ), खंड (ड), खंड (ढ) और (ण) निम्नानुसार जोड़े जाएंगेः

"(ठ) यदि अतिरिक्त क्षमता ईएसएस है, तो ऐसे ईएसएस केवल ऐसे ईएसएस को चार्ज करने के उद्देश्य हेतु आरईजीएस संस्थापित कर सकते हैं। ऐसे आरईजीएस की संस्थापित क्षमता आवेदन में इंगित की जाएगी और भूमि या वित्तीय समापन के लिए विनियम 5.8 या विनियम 11क के अधीन दस्तावेजों की आवश्यकता ऐसे आरईजीएस के लिए लागू नहीं होगी।

(ड) यदि मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही संयोजकता त्यागता है या उसकी संयोजकता का प्रतिसंहरण होता है, तो संयोजकता की संपूर्ण मात्रा के लिए, इन विनियमों के विनियम 5.2 के अधीन क्षमता के संयोजन को त्याग किया गया या प्रतिसंहृत माना जाएगा। तथापि, यदि मौजूदा संयोजकता अनुदानग्राही संयोजकता की आंशिक मात्रा को त्यागता है या उसकी आंशिक संयोजकता प्रतिसंहृत होती है, तो इन विनियमों के विनियम 5.2 के अधीन क्षमता का संयोजन शेष संयोजकता की मात्रा तक सीमित होगी और बची हुई मात्रा, यदि कोई हो, प्रतिसंहृत होगी।

(ढ) यदि अतिरिक्त क्षमता तकनीकी अनुपालन को पूरा करने के लिए है तो ऐसी क्षमता के लिए इन विनियमों के खंड (ङ), (छ), (ज), (झ) लागू नहीं होंगे।

(ण) यदि अतिरिक्त क्षमता जो कि इस विनियम के खंड (ढ) के अधीन कवर नहीं है और जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त सौर घंटा पहुंच या गैर–सौर घंटा पहुंच प्राप्त नहीं होती है, वहां ऐसी क्षमता के लिए इस विनियम के खंड (ङ), (ज) और (झ) लागू नहीं होंगेः

परंतु यह कि खंड (झ) इन विनियमों के विनियम 24 के अनुसार ऐसी अतिरिक्त क्षमता की सीओडी प्राप्त करने की सीमा तक लागू होगा।"

9. मूल विनियमों के विनियम 5.6 का संशोधनः

9.1 मूल विनियमों के विनियम 5.6 के मुख्य पैराग्राफ में शब्दों "[विनियम 4.1 (ङ) के अधीन आवेदन]" को हटाया जाएगा।

10. मूल विनियमों के विनियम 5.8 का संशोधनः

10.1 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (vii) के उप–खंड (ख) में शब्दों "भूमि उपयोग अधिकारों" के बाद शब्द "या सब–लीज दस्तावेजों (जहाँ सब–लीज को लीज अनुमति देती है)" अंतर्वेशित किए जाएंगे, और प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह और कि ऐसे सब–लीज़ दस्तावेजों की अनुमति केवल (i) पेरेंट और सब्सीडायरी (सब्सीडायरीज) के बीच और उनके विपरीत के बीच या समान पेरेंट के सब्सीडायरी (सब्सीडायरीज़) के बीच या (ii) उस मामले में जहाँ लीज़ की गई सरकारी भूमि को सरकारी नीति के अधीन अन्य इकाई को सब–लीज़ किया गया है, के लिए होगी।"

10.2 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के परंतुक (ii) और (iii) से खंड (xi)(क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(ii) किसी आवेदक के बहु–अवस्थित आरईजीएस होने के मामले में, जहाँ एकल एलओए या पीपीए बहुविध स्थानों पर परियोजनाओं की स्थापना प्रदान करता है, तो आवेदक एक या उससे अधिक स्थानों पर ऐसे एलओए या पीपीए के आधार पर उस मात्रा के लिए संयोजकता प्राप्त करने का पात्र होगा जिसके लिए एलओए प्रदान किया गया है या पीपीए निष्पादित किया गया है या ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए में संस्थापित क्षमता प्रदत्त है, इनमें से जो भी कम हो। यदि संयोजकता किसी भी स्थान (इस परंतुक के उप–खंड (iii) के अधीन) एलओए या पीपीए की आंशिक मात्रा और भूमि या भूमि बीजी का आंशिक मात्रा का उपयोग करते हुए मांगी गई है, तो ऐसे स्थान पर उपयोग की जाने वाली एलओए या पीपीए की मात्रा पहले संयोजकता की मात्रा तक उपयोग की जाएगी, इसके पश्चात् एलओए या पीपीए की शेष मात्रा, यदि कोई हो, का उपयोग किसी अन्य स्थान के लिए किया जा सकेगा। शेष क्षमता, यदि कोई हो, के लिए ऐसे किसी स्थान पर जहाँ एलओए या पीपीए की शेष मात्रा ऐसे स्थान पर संस्थापित क्षमता के कम होती है और एलओए या पीपीए में प्रदत्त अन्य स्थानों पर क्षमता के लिए, आवेदक इन विनियमों के विनियम 5.8 (xi)(ख) या विनियम 5.8 (xi)(ग) के अधीन अतिरिक्त क्षमता मांगने का पात्र होगा।

नोटः बहु–अवस्थित आरईजीएस से एक या अधिक राज्यों में अवस्थित और विभिन्न सबस्टेशनों पर संयोजित आरईजीएस अभिप्रेत होगा।

उदाहरणः

किसी इकाई को निम्नलिखित कॉन्फिग्रेशन के साथ 1000 मेगावाट अनुबंधित क्षमता के लिए एलओए प्राप्त हुआः

स्थान सं.	संस्थापित क्षमता और स्रोत	स्थान	पात्रता	टिप्पणी
1.	600 मेगावाट सौर	राजस्थान	एलओए का उपयोग करते हुए स्थान सं. 1 पर 600 मेगावाट संयोजकता ली जा सकती है	इकाई एलओए का उपयोग करते हुए 600 मेगावाट से कम के लिए संयोजकता मांगने का पात्र नहीं होगी यदि वह आंशिक मात्रा के लिए भूमि या भूमि बीजी का उपयोग करते हुए इस स्थान पर कुल 600 मेगावाट के लिए संयोजकता मांगने की इच्छुक है
2.	500 मेगावाट पवन	एपी	एलओए का उपयोग करते हुए 400 मेगावाट संयोजकता ली जा सकती है, और 100 मेगावाट के लिए, भूमि या भूमि बीजी प्रस्तुत की जाएगी	इकाई एलओए का उपयोग करते हुए 400 मेगावाट (एलओए मात्रा घटा स्थान सं.1 पर मांगी गई संयोजकता) से कम के लिए संयोजकता मांगने का पात्र नहीं होगी यदि वह आंशिक मात्रा के लिए भूमि या भूमि बीजी का उपयोग करते हुए इस स्थान पर कुल 400 मेगावाट के लिए संयोजकता मांगने की इच्छुक है
3.	200 मेगावाट सौर	तेलंगाना	भूमि या भूमि बीजी	

(iii) इस खंड के उप–खंडों (i) और (ii) के अधीन कवर किए गए आवेदक के लिए, जहाँ एलओए या पीपीए मात्रा उस स्थान पर एलओए में उल्लिखित संस्थापित क्षमता से कम है जिस पर ऐसे एलओए के आधार पर संयोजकता मांगी गई है और इकाई ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए मात्रा से अधिक मात्रा के लिए संयोजकता मांगने की इच्छुक है, तो वह आंशिक मात्रा के लिए एलओए या पीपीए के साथ एकल आवेदन के माध्यम से और ऐसे स्थान के लिए संयोजकता की शेष मात्रा के लिए इन विनियमों के विनियम 5.8(xi) के खंड (ख) या खंड (ग) के आधार पर दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है। नोडल एजेंसी, मांगी गई संयोजकता की संपूर्ण मात्रा को एकल उत्पादन स्टेशन, जहाँ ऐसे स्थान पर एलओए या पीपीए के आधार पर ऐसे उत्पादन स्टेशन के लिए एससीओडी पर विचार किया जाएगा, के रूप में मानते हुए ऐसे स्थान पर ऐसी संयोजकता का अनुदान संसाधित करेगी। इन विनियमों के विनियम 11क के अधीन भूमि दस्तावेज के अनुपालन को विनियम 5.8(xi) के खंडों (ख) या (ग) क अधीन कवर की गई संयोजकता की मात्रा के लिए पूरा किया जाएगा। किसी ऐसे स्थान पर ऐसे उत्पादन स्टेशन के लिए एससीओडी, इन विनियमों के विनियम 24.6(1)(क) के प्रयोजन हेतु, एलओए या पीपीए की होगी।"

10.3 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप–खंड (ख) में शब्दों "भूमि उपयोग अधिकारों" के बाद शब्द "या सब–लीज दस्तावेजों (जहाँ सब–लीज को लीज अनुमति देती है)" अंतर्वेशित किए जाएंगे, और प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह और कि ऐसे सब–लीज़ दस्तावेजों की अनुमति केवल (i) पेरेंट और सब्सीडायरी (सब्सीडायरीज) के बीच और उनके विपरीत के बीच या समान पेरेंट के सब्सीडायरी (सब्सीडायरीज़) के बीच या (ii) उस मामले में जहाँ लीज़ की गई सरकारी भूमि को सरकारी नीति के अधीन अन्य इकाई को सब–लीज़ किया गया है, के लिए होगी।"

10.4 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(ग) में एक नया परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि यदि आवेदक ईएसएस (पम्प्ड भंडारण संयंत्र (पीएसपी) को छोड़कर) है, तो बैंक गारंटी रु. 5 लाख/मेगावाट होगी।"

10.5 मूल विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xii) के मुख्य पैराग्राफ में शब्दों "ईएसएस (पम्प्ड भंडारण संयंत्र (पीएसपी) को छोड़कर" के बाद शब्द "या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता" अंतर्वेशित किए जाएंगे।

11. मूल विनियमों के विनियम 5.10 का संशोधनः

11.1 मूल विनियमों के विनियम 5.10 के खंड (च) में एक परंतुक निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि भूमि पार्सलों के द्वितीय परिवर्तन की अनुमति इन विनियमों के विनियम 9.3.5 के अनुसार दी जाएगी।"

12. मूल विनियमों के विनियम 5.11 का संशोधनः

12.1 मूल विनियमों के विनियम 5.11 के खंड (ग) में उदाहरण में शब्दों "ईएसएस– 200 मेगावाट" के बाद शब्द "(400 मेगावाट घंटा)" अंतर्वेशित किए जाएंगे और निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि ऐसे आरईजीएस के साथ ईएसएस को पास अपनी विद्युत क्षमता (मेगावाट में) को दोगुना के रूप में न्यूनतम ऊर्जा क्षमता (मेगावाट घंटा में) या प्रणाली आवश्यकता के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित होनी चाहिए, जिसके न होने पर ऐसे आरईजीएस के पास गैर–सौर घंटों के दौरान ईएसएस के लिए जीएनए के अधीन अंतःक्षेपण शेड्यूलिंग अधिकार नहीं होंगे।"

13. मूल विनियमों के विनियम 6.3 का संशोधनः

13.1 मूल विनियमों के विनियम 6.3 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"6.3 नोडल एजेंसी आवेदन (आवेदनों) को बंद करेगी और निम्नलिखित दशाओं में संपूर्ण आवेदन शुल्क के साथ प्रस्तुत की गई बैंक गारंटियाँ, यदि कोई हो, वापस करेगीः

क. नोडल एजेंसी सामान्य नेटवर्क पहुंच के अधीन आईएसटीएस से अधिक विद्युत का अंतरण सक्षम करने के लिए भार उत्पादन शेष या अन्य संबद्ध मामलों के कारण, मौजूदा आईएसटीएस, यदि कोई हो, में संवर्धन की आवश्यकता की पहचान करने के लिए अंतरसंयोजन अध्ययन करने में असमर्थ है।

ख. पहचाना गया संवर्धन (एटीएस सहित या उसके रहित) ऐसे संवर्धन को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

ग. आवेदन का समापन सुसंगत हितधारकों के साथ परामर्श में नोडल एजेंसी द्वारा बनाए जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार होगा।"

14. मूल विनियमों के विनियम 7.2 का संशोधनः

14.1 मूल विनियमों के विनियम 7.2 के मुख्य पैराग्राफ के अंत में शब्द "या ऐसे संवर्धन को अनुमोदित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहचाने गए संवर्धन के अनुमोदन से 30 दिनों के अंदर, जो भी बाद में हो" जोड़े जाएंगे।

15. मूल विनियमों के विनियम 9.3 का संशोधनः

15.1 मूल विनियमों के विनियम 9.3 के उप विनियम 9.3.1 में शब्दों "संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख से 18 मास पूर्व" के स्थान पर शब्द "संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख से 6 मास पूर्व" रखे जाएंगे।

15.2 मूल विनियमों के विनियम 9.3 के उप विनियम 9.3.5 के अधीन निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगेः

"परंतु यह कि द्वितीय स्रोत परिवर्तन की अनुमति रु. 20,000/मेगावाट (स्रोत की क्षमता के सकल परिवर्तन के लिए) या रु. 10 लाख प्रति आवेदन, जो भी उच्चतर हो, के शुल्क के साथ होगी।

परंतु यह और कि यदि द्वितीय स्रोत परिवर्तन को भूमि पार्सल के परिवर्तन की आवश्यकता है और भूमि पार्सल का एक परिवर्तन (विनियम 5.10 के अनुसार यथा अनुमति प्राप्त) पहले ही पूरा हो चुका है, तो भूमि पार्सलों में द्वितीय परिवर्तन की अनुमति रु.25,000/मेगावाट (स्रोत की क्षमता के सकल परिवर्तन के लिए) या रु. 10 लाख प्रति आवेदन, जो भी उच्चतर हो, के संयुक्त शुल्क के साथ दी जाएगीः

परंतु यह भी कि आवेदन शुल्क की सूचना नोडल एजेंसी द्वारा स्रोत परिवर्तन के लिए अनुमति के साथ दी जाएगी जिसे इकाई द्वारा ऐसी सूचना की तारीख के पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके न होने पर स्रोत के परिवर्तन के लिए अनुमति प्रतिसंहृत कर दी जाएगी।

उदाहरण: मान लीजिए किसी इकाई को विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन 400 मेगावाट के लिए संयोजकता प्रदान की गई है और उसकी 300 मेगावाटः सौर, 300 मेगावाटः पवन के रूप में संस्थापित क्षमता है।

मान लीजिए इकाई 400 मेगावाटः सौर, 200 मेगावाटः पवन और 50 मेगावाटः ईएसएस के रूप में प्रथम स्रोत परिवर्तन की मांग करती है। प्रथम स्रोत परिवर्तन के बाद, इकाई के पास सौर घंटों में 400 मेगावाट के लिए और गैर सौर घंटों (200 मेगावाट पवन और 50 मेगावाट ईएसएस मानते हुए) के दौरान 250 मेगावाट के लिए अंतःक्षेपण शेड्यूलिंग अधिकार के साथ 400 मेगावाट की संयोजकता होगी।

केस–1: मान लीजिए, संस्थापित क्षमताः 500 मेगावाट सौर–100 मेगावाट पवन और ईएसएस 100 मेगावाट के रूप में स्रोत का द्वितीय परिवर्तन मांगा गया है। ऐसे मामले में, स्रोत में सकल परिवर्तन 200 मेगावाट (। 400–500। + । 200–100। = 200 मेगावाट) और ऐसे परिवर्तन के लिए लागू शुल्क रु. 40 लाख (200 X रु. 20000) होगा। इस मामले में, सौर घंटा पहुंच 400 मेगावाट होगा और गैर–सौर पहुंच 200 मेगावाट होगी, 50 मेगावाट ईएसएस के अतिरिक्त को ध्यान में रखते हुए।

केस–2: जहाँ दोनों, अर्थात्, भूमि पार्सल परिवर्तन और स्रोत परिवर्तन आवश्यक हैं–

उपर्युक्त उदाहरण में, ऐसे परिवर्तन के लिए लागू शुल्क रु. 50 लाख (200 X रु. 25000) होगा।

नोट: भूमि पार्सल परिवर्तनों और स्रोत परिवर्तन का अनुमोदन क्रमशः विनियम 5.10 और विनियम 9.3 के अनुसार संसाधित किया जाएगा।"

16. मूल विनियमों के विनियम 11क का संशोधनः

16.1 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (1) के प्रथम परंतुक में शब्दों "आईएसटीएस सबस्टेशन को" के बाद और शब्दों "संयोजकता का अंतिम अनुदान" से पहले शब्द "संयोजकता का सिद्धांततः अनुदान या" रखे जाएंगे।

16.2 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (1) के बाद एक नया खंड, यथा, खंड 1(क) निम्नानुसार अंतर्वेशित किया जाएगाः

"(1क) कोई संयोजकता अनुदानग्राही जो कि विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन कवर किया गया आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा) या ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) है, वह जीएनए की प्रभावी तारीख से 60 दिनों के भीतर इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi) के उप–खंड (ख) के अनुसार भूमि के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, यदि उसने इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के उप–खंड (iv) के अनुसार पहले से ही प्रस्तुत नहीं किए।"

16.3 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(2) कोई संयोजकता अनुदानग्राही जो कि आरईजीएस (हाइड्रो उत्पादन स्टेशन के अलावा), ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर) या नवीकरणीय विद्युत पार्क विकासकर्ता है, वह जीएनए की प्रभावी तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसी संयोजकता की क्षमता के लिए वित्तीय समापन दस्तावेज (नोडल एजेंसी द्वारा जारी किए जाने वाली विस्तृत क्रियाविधि के अनुसार अन्य विवरणों सहित नेटवर्थ के साथ ऋण स्वीकृति पत्र की प्रति या ऋण राशि के प्रथम संवितरण का प्रमाण या बोर्ड संकल्प की प्रति, यदि आंतरिक निधिकरण परियोजना लागत के 100% के लिए नियोजित है) प्रस्तुत करेगा;

परंतु यह कि यदि इकाई ने इस खंड के अनुसार वित्तीय समापन दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को संपूर्ण क्षमता की सीओडी पहले ही हासिल कर ली है, तो ऐसी इकाई को वित्तीय समापन दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

16.4 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (4) के मुख्य पैराग्राफ को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगाः

"(4) वह इकाई, जिसने विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) के अधीन संयोजकता के लिए आवेदन किया है और जिसे संयोजकता का सिद्धांततः या अंतिम अनुदान प्रदान किया गया है, पीपीए प्रस्तुत करता है, जैसा कि विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) अधीन पात्र है, (स्वयं द्वारा या अपनी सहायक कम्पनी द्वारा या अपनी पेरेंट कम्पनी द्वारा या ऐसी इकाई की पेरेंट कम्पनी की किसी अन्य सहायक, यथास्थिति, द्वारा किया गया है), आंशिक क्षमता या संपूर्ण क्षमता के लिए, निम्नलिखित के अध्यधीन, विनियम 5.8 के खंड (xi)(ख) या खंड (xi)(ग) से विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अधीन अपनी संयोजकता के रूपांतरण के लिए नोडल एजेंसी को आवेदन कर सकता है:"

16.5 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (4) के उप–खंड (क) के मुख्य पैराग्राफ में शब्दों "एलओए या" को हटाया जाएगा।

16.6 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (4)(ग) के अधीन उप–खंड (iv) के बाद एक नया उप–खंड (v) निम्नानुसार जोड़ा जाएगाः

"(v) यदि पीपीए रूट में रूपांतरण के बाद भूमि रूट या भूमि बीजी रूट के अधीन बची हुई संयोजकता मात्रा 50 मेगावाट से कम है, तो ऐसी बची हुई मात्रा को ऐसी त्यागी गई मात्रा के लिए कॉन–बीजी3 और भूमि बीजी, यदि कोई हो, की वापसी के साथ त्यागी हुई माना जाएगा और कॉन–बीजी1 और कॉन–बीजी2, यथा लागू, को संयोजकता की रूपांतरित मात्रा के प्रति रख लिया जाएगा।"

16.7 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (4) के उप–खंड (छ) के बाद दो नए उप–खंड, यथा, उप–खंड (ज) और उप–खंड (झ) निम्नानुसार अंतर्वेशित किए जाएंगेः

"(ज) भूमि रूट या भूमि बीजी रूट से पीपीए रूट में परिवर्तन, इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के परंतुक के खंडों (i) से (iii) के अधीन अनुबंधों सहित विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अनुबंधों के अनुसार होगा।

(झ) कोई इकाई पीपीए रूट के अधीन आवेदन के रूप में भूमि बीजी या भूमि रूट (नगदीकरण आवेदन सहित) के अधीन बहुविध आवेदनों के रूट का रूपांतरण मांग सकती है, जहाँ ऐसे बहुविध आवेदन समान टर्मिनल बे या समान सबस्टेशन पर प्रदान किए गए हैं। ऐसा रूपांतरण इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के परंतुक के खंड (ii) और विनियम 11क के खंड (4) के अनुसार होगा।"

16.8 मूल विनियमों के विनियम 11क के खंड (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(5) संयोजकता की सैद्धांतिक मंजूरी या संयोजकता की अंतिम मंजूरी की सूचना के पश्चात् की शर्तें, जिन्हें विनियम 11क के अधीन पूरा किया जाना अपेक्षित है, और सीओडी की प्राप्ति, यथास्थिति, या तो उस इकाई द्वारा, जिसे सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी जारी की गई है, या उसकी मूल कंपनी या उसकी सहायक कंपनी (कंपनियों) द्वारा या ऐसी इकाई की मूल कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी (कंपनियों) द्वारा पूरी की जाएगी। इन विनियमों के अधीन सभी उत्तरदायित्व, जिनके अंतर्गत, जैसा लागू हो, अन्य बातों के साथ–साथ पीपीए या भूमि या वित्तीय समापन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना भी है, उस इकाई के बने रहेंगे जिसे सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी जारी की गई है। नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों में उस इकाई द्वारा, जिसके नाम में पीपीए या भूमि या वित्तीय समापन या सीओडी के दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं, जारी किया गया प्राधिकार पत्र सम्मिलित होगा, जो उस इकाई को, जिसे सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी जारी की गई है, उन्हें नोडल एजेंसी को प्रस्तुत करने के लिए समर्थ बनाता हो।"

16.9 मूल विनियमों के विनियम 11ख के खंड (1) में "इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (1)," शब्दों के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अंतर्वेशित किए जाएंगेः–

"या विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अंतर्गत आने वाली कोई इकाई इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (1क) के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहती है,"

17. मूल विनियमों के विनियम 15.1 का संशोधन

17.1 मूल विनियमों के विनियम 15.1 के मुख्य पैरा में "और 15.3" शब्दों के स्थान पर "से 15.5" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

18. मूल विनियमों के विनियम 15.3 का संशोधन

18.1 मूल विनियमों के विनियम 15.3 के मुख्य पैरा में "आरईजीएस का कार्यान्वयन करने वाली (जिसके दस्तावेज़ संयोजकता अनुदानग्राही द्वारा इन विनियमों के विनियम 11क(5) के अधीन वित्तीय समापन और सीओडी के अनुपालन को पूरा करने के लिए प्रस्तुत किए गए थे)" शब्दों के स्थान पर "सीओडी प्राप्त करने वाली" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

19. नए विनियम 15.4 और 15.5

19.1 मूल विनियमों के विनियम 15.3 के पश्चात् दो नए विनियम, अर्थात् विनियम 15.4 और विनियम 15.5 जोड़े जाएंगे, अर्थात्:–

"15.4 इन विनियमों के विनियम 15.1 से 15.3, इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (6) के अधीन नियंत्रण में अनुज्ञात परिवर्तन के अधीन होंगे।

15.5 यदि वह उत्पादन केन्द्र या ईएसएस, जिसने सीओडी प्राप्त कर लिया है, किसी अन्य इकाई को अंतरित किया जाता है या उसके द्वारा अर्जित किया जाता है, तो सीओडी प्राप्त कर चुके ऐसे उत्पादन केन्द्र या ईएसएस की संयोजकता भी उस इकाई को अंतरित हो जाएगी, जिसे उत्पादन केन्द्र या ईएसएस अंतरित किया गया है या जिसके द्वारा उसे अर्जित किया गया है। यदि कॉन–बीजी विद्यमान हैं, तो उत्पादन केन्द्र या ईएसएस,

कॉन–बीजी को उस इकाई के नाम में प्रतिस्थापित कर सकेगा, जिसे ऐसा उत्पादन केन्द्र या ईएसएस अंतरित किया गया है या जिसके द्वारा उसे अर्जित किया गया है। नोडल एजेंसी ऐसे अंतरण को सम्मिलित करने के लिए संयोजकता करार में पारिणामिक परिवर्तन करेगी।"

20. मूल विनियमों के विनियम 16.2 का संशोधन

20.1 मूल विनियमों के विनियम 16.2 में "उत्पादन क्षमता के अनुरूप पांच वर्षों में पांच समान भागों में" शब्दों के स्थान पर "तत्स्थानी उत्पादन क्षमता के सीओडी की घोषणा से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

21. मूल विनियमों के विनियम 17.1 का संशोधन

21.1 मूल विनियमों के विनियम 17.1 के अधीन खंड (iv) का लोप किया जाएगा।

22. मूल विनियमों का नया विनियम 17.5

22.1 मूल विनियमों के विनियम 17.4 के पश्चात् एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 17.5 जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"17.5 आहरणकर्ता इकाइयों के लिए दोहरा संयोजनः आईएसटीएस और अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से

(1) अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संयोजकता रखने वाली कोई आहरणकर्ता इकाई, उस आहरण क्षमता की, जिसके लिए उसके पास अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से पहले से संयोजकता है, आंशिक मात्रा (50 मेगावाट से अन्यून) या संपूर्ण मात्रा के लिए, संबंधित एसटीयू और वितरण अनुज्ञप्तिधारी, जैसा लागू हो, की सहमति के साथ, जिसमें, यथास्थिति, एसटीयू या वितरण प्रणाली से संयोजकता की मात्रा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट हो, विनियम 17.1(iii) के अधीन आवेदक के रूप में सीधे आईएसटीएस से संयोजित होने की मांग कर सकेगी। ऐसी इकाई दोनों संयोजनों के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन लागू प्रभारों का संदाय करती रहेगी। ऐसे लागू प्रभारों में प्रति–सहायिकी अधिभार (सीएसएस), अतिरिक्त अधिभार, पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, स्टैंडबाय प्रभार या समुचित आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अन्य प्रभार सम्मिलित हो सकेंगे। संबंधित एसटीयू और वितरण अनुज्ञप्तिधारी सहमति के लिए आवेदन पर समयबद्ध रीति से कार्रवाई कर सकेंगे जिससे कि खुली पहुंच सुकर हो सके।

(2) इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अंतर्गत आने वाला कोई जीएनए अनुदानग्राही, संबंधित राज्य विनियमों के अनुसार, नोडल एजेंसी से इस आशय की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् कि ऐसा संयोजन तकनीकी रूप से साध्य है और दोनों संयोजनों के लिए अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन लागू प्रभारों के संदाय के अधीन रहते हुए, इन विनियमों के विनियम 17.1(iii) के अधीन मंजूर जीएनए की आंशिक मात्रा या संपूर्ण मात्रा के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संयोजित हो सकेगा। ऐसी इकाई, यथास्थिति, एसटीयू या वितरण प्रणाली से संयोजकता की मात्रा की पुष्टि नोडल एजेंसी को करेगी।

(3) इस विनियम के खंड (1) और (2) के अधीन उपबंध जीएनएआरई रखने वाली इकाइयों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि जीएनएआरई को जीएनए में संपरिवर्तित नहीं कर दिया जाता है।"

23. मूल विनियमों के विनियम 20.2 का संशोधन

23.1 मूल विनियमों के विनियम 20.2 का लोप किया जाएगा।

24. मूल विनियमों के विनियम 22.2 का संशोधन

24.1 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खंड (ख–ii) में "विनियम 16" शब्दों के स्थान पर "विनियम 16.1 से 16.4" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

24.2 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खंड (ग) का लोप किया जाएगा।

24.3 मूल विनियमों के विनियम 22.2 के खंड (घ) के मुख्य पैरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(घ) इन विनियमों के विनियम 4.1 और विनियम 17.1 के खंड (iii) के अंतर्गत आने वाली इकाइयां जीएनए की मात्रा के लिए एक लाख रुपए प्रति मेगावाट का एकबारगी जीएनए प्रभार जीएनए की प्रभावी तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करेंगी। यदि ऐसे प्रभार इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर जमा नहीं किए जाते हैं, तो उनकी वसूली अपेक्षानुसार कॉन–बीजी1, कॉन–बीजी2 और कॉन–बीजी3 के नकदीकरण द्वारा की जाएगी। यदि कोई कॉन–बीजी विद्यमान नहीं है और इकाई अपेक्षित प्रभार जमा नहीं करती है, तो ऐसी इकाई तब तक ग्रिड के साथ कोई संव्यवहार करने के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि इकाई द्वारा प्रभार जमा नहीं कर दिए जाते। ऐसे एकबारगी जीएनए प्रभार के आगमों का उपयोग साझेदारी विनियमों के अधीन मासिक पारेषण प्रभारों को कम करने के लिए किया जाएगाः"

25. मूल विनियमों के विनियम 22.4 का संशोधन

25.1 मूल विनियमों के विनियम 22.4 के खंड (क) के दूसरे परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"परंतु यह भी कि यदि संवर्धन का कोई तत्व या टर्मिनल बे विनियमित टैरिफ तंत्र रीति के अधीन निष्पादित किया जाता है, और ऐसे तत्व का कार्यान्वयन करने वाले अनुज्ञप्तिधारी ने मानित सीओडी के प्रयोजन के लिए ग्रिड संहिता के विनियम 27(1)(ग) के अधीन समापन प्रमाणपत्र के लिए सीटीयू से संपर्क किया है, तो नोडल एजेंसी, जीएनए की प्रभाविता की तारीख के प्रयोजन के लिए, ऐसे तत्व के लिए ग्रिड संहिता के अधीन सीटीयू द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तारीख को विचार में लेगी, जो आयोग द्वारा ऐसे मानित सीओडी का अनुमोदन करते समय यथा विनिश्चित पुनरीक्षण के अधीन होगी।"

26. नया विनियम 23क

26.1 मूल विनियमों के विनियम 23.3 के पश्चात् एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 23क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"23क जीएनए का अंतरण

(क) कोई इकाई, जिसे इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (ii) से (v) के अधीन, पहचाने गए लोड (जीएनए मंजूरी में विनिर्दिष्ट) के लिए एकल बिंदु पर आहरण हेतु जीएनए मंजूर किया गया है, जहां ऐसा लोड अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली या आईएसटीएस से संयोजित है, और जहां ऐसा लोड स्वयं किसी अन्य इकाई को अंतरित किया जाता है या उसके द्वारा अर्जित किया जाता है, जीएनए के अंतरण की मांग कर सकेगी। जीएनए, लोड का स्वामित्व रखने वाली ऐसी नई इकाई को इस शर्त के अधीन अंतरित किया जाएगा कि ऐसे अंतरण की अनुमति केवल जीएनए के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाएगी।

(ख) यदि एसटीयू को किसी इकाई की ओर से, पहचाने गए लोड (जीएनए मंजूरी में विनिर्दिष्ट) के लिए एकल बिंदु पर आहरण हेतु, इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (i) के अधीन जीएनए मंजूर किया गया है, और जहां ऐसा लोड स्वयं किसी अन्य इकाई को अंतरित किया जाता है या उसके द्वारा अर्जित किया जाता है, तो ऐसी इकाई, एसटीयू के माध्यम से, जीएनए के प्रभावी होने के पश्चात्, ऐसे लोड का स्वामित्व रखने वाली नई इकाई को जीएनए के अंतरण की मांग कर सकेगी।

(ग) कोई इकाई, जिसे इन विनियमों के विनियम 17.1 के खंड (vi) के अधीन जीएनए मंजूर किया गया है, और जहां ऐसा उत्पादन केन्द्र या ईएसएस किसी अन्य इकाई को अंतरित किया जाता है या उसके द्वारा अर्जित किया जाता है, जीएनए के अंतरण की मांग कर सकेगी। जीएनए, उत्पादन केन्द्र या ईएसएस का स्वामित्व रखने वाली ऐसी नई इकाई को इस शर्त के अधीन अंतरित किया जाएगा कि ऐसे अंतरण की अनुमति केवल उत्पादन केन्द्र या ईएसएस द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की घोषणा किए जाने और जीएनए के प्रभावी होने के पश्चात् दी जाएगी।

(घ) ऐसे अंतरण पर कार्रवाई उस इकाई द्वारा, जिसे जीएनए मंजूर किया गया था, सभी देयों, यदि कोई हों, का निपटान किए जाने के पश्चात् की जाएगी।

(ङ) कॉन–बीजी को उस इकाई के नाम में प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसे ऐसे जीएनए का अंतरण चाहा गया है।

(च) नोडल एजेंसी, जैसा लागू हो, ऐसे अंतरण को सम्मिलित करने के लिए जीएनए करार में पारिणामिक परिवर्तन करेगी।"

27. मूल विनियमों के विनियम 26.1 का संशोधन

27.1 मूल विनियमों के विनियम 26.1 के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी, (i) इस विनियम के खंड (क) के अंतर्गत आने वाले क्रेता (क्रेताओं) की ओर से, या (ii) आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संयोजित किसी अंतःक्षेपण करने वाली इकाई या ईएसएस की ओर से, या (iii) इस विनियम के खंड (ङ) के अंतर्गत आने वाली किसी इकाई की ओर से।"

27.2 मूल विनियमों के विनियम 26.1 के खंड (ग) के अंत में ", या (iii) आईएसटीएस में अंतःक्षेपण के प्रयोजन के लिए अंतःराज्यिक पारेषण प्रणाली या वितरण प्रणाली से संयोजित कोई अंतःक्षेपण करने वाली इकाई या ईएसएस, या (iv) इस विनियम के खंड (ङ) के अंतर्गत आने वाली कोई इकाई" शब्द जोड़े जाएंगे।

27.3 मूल विनियमों के विनियम 26.1 के खंड (ङ) के मुख्य पैरा में "विनियम 5.11" शब्दों के स्थान पर "विनियम 4.7 या विनियम 5.11" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

28. मूल विनियमों के विनियम 28.5 का संशोधन

28.1 मूल विनियमों के विनियम 28.5 के खंड (क) के उप–खंड (iv) के परंतुक का लोप किया जाएगा।

29. मूल विनियमों के विनियम 37.6 का संशोधन

29.1 मूल विनियमों के विनियम 37.6 के खंड (1) के उप–खंड (क) और (ख) के मुख्य पैरा में तथा खंड (2) के मुख्य पैरा में "उस वर्ष से, जब ऐसा जीएनए प्रभावी होता है, आरंभ होकर अगले पांच वर्षों में पांच समान भागों में" शब्दों के स्थान पर "जीएनए की प्रभाविता की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

30. मूल विनियमों के विनियम 37.10 का संशोधन

30.1 मूल विनियमों के विनियम 37.10 के खंड (ख) के उप–खंड (i), (ii) और (iii) में "संयोजन करार" शब्दों के स्थान पर "संयोजकता करार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

31. नया विनियम 37.11

31.1 मूल विनियमों के विनियम 37.10 के पश्चात् एक नया विनियम, अर्थात् विनियम 37.11 जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"37.11 चौथा संशोधन विनियमों के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध:

(क) विनियम 3.10 के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए, जहां संयोजकता की अंतिम मंजूरी की सूचना की तारीख से ऐसे 45 दिन (विनियम 3.10(क) के अंतर्गत आने वाले) या संयोजकता की सैद्धांतिक मंजूरी की सूचना की तारीख से दो वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् 30 दिन (विनियम 3.10(ग) के अंतर्गत आने वाले) पहले ही व्यतीत हो चुके हैं, ऐसी इकाइयां चौथे संशोधन की प्रभाविता की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर संयोजकता मात्रा को पूर्णतः वापस लेने की मांग करने के लिए पात्र होंगी।

(ख) उन मामलों के लिए, जहां इन विनियमों के चौथे संशोधन की प्रभाविता की तारीख को सीओडी की घोषणा से एक वर्ष व्यतीत हो चुका है, नोडल एजेंसी, इस विनियम की प्रभाविता के एक मास के भीतर, साझेदारी विनियमों के अनुसार पारेषण प्रभारों के देयों, यदि कोई हों, के निपटान के अधीन रहते हुए, वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित तत्स्थानी उत्पादन क्षमता के लिए विद्यमान कॉन–बीजी2 और कॉन–बीजी3 लौटा देगी।

(ग) यदि अतिरिक्त जीएनए इन विनियमों के विनियम 37.6 के खंड (1)(क) और (1)(ख) के अधीन मंजूर किया गया है, और चौथा संशोधन विनियमों की प्रभाविता की तारीख को जीएनए की प्रभाविता की तारीख से एक वर्ष व्यतीत हो चुका है, तो नोडल एजेंसी, इस विनियम की प्रभाविता के एक मास के भीतर, साझेदारी विनियमों के अनुसार पारेषण प्रभारों के देयों, यदि कोई हों, के निपटान के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, विद्यमान कॉन–बीजी2 और कॉन–बीजी3 लौटा देगी।

(घ) उन मामलों के लिए, जहां संयोजकता की मंजूरी के लिए आवेदन चौथा संशोधन विनियमों की प्रभाविता से पूर्व नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए गए हैं और वे इन विनियमों के विनियम 6.3 के खंड (क) के अंतर्गत आते हैं, ऐसे आवेदन (आवेदनों) पर इन विनियमों के विनियम 6.3 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ङ) उन मामलों के लिए, जहां इकाई को चौथा संशोधन विनियमों की प्रभाविता से पूर्व संयोजकता की सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी जारी की गई है और वे इन विनियमों के विनियम 6.3 के खंड (ख) के अंतर्गत आते हैं, ऐसे आवेदन (आवेदनों) पर इन विनियमों के विनियम 6.3 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(च) उस मामले के लिए, जहां इकाई इन विनियमों के विनियम 5.8 के खंड (xi)(क) के अंतर्गत आती है और जहां इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) के अधीन वित्तीय समापन दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख इन विनियमों के चौथे संशोधन की प्रभाविता की तारीख से दो मास के भीतर पड़ती है, किंतु एलओए के अनुसार एससीओडी या पीपीए के अनुसार एससीओडी या विस्तारित एससीओडी से 6 मास पूर्व की अवधि इन दो मासों के पश्चात् पड़ती है, तो ऐसी इकाई को वित्तीय समापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए इन विनियमों के विनियम 11क के खंड (2) के अनुसार अंतिम तारीख के पश्चात् अतिरिक्त दो मास दिए जाएंगे।"

32. मूल विनियमों के विनियम 39.1 का संशोधन

32.1 मूल विनियमों के विनियम 39.1 में निम्नलिखित नया परंतुक जोड़ा जाएगा:–

"परंतु नोडल एजेंसी, संयोजकता की आंशिक मात्रा के प्रतिसंहरण या परित्याग की दशा में संयोजकता, सौर घंटा पहुंच और गैर–सौर घंटा पहुंच, कॉन–बीजी, आदि के उपचार के लिए, विनियम 5.2 के खंड (ड) के अंतर्गत आने वाली इकाइयों सहित और परियोजना की संस्थापित क्षमता और ऊर्जा स्रोत में परिवर्तन के पहलू (संस्थापित क्षमता में परिवर्तन की दशा में युक्तियुक्त शुल्क के जमा किए जाने सहित) को सम्मिलित करते हुए, इन विनियमों के विनियम 24.6 के संबंध में विस्तृत प्रक्रिया, हितधारकों के परामर्श के पश्चात् चौथा संशोधन विनियमों की अधिसूचना से 60 दिनों के भीतर आयोग के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी:

परंतु नोडल एजेंसी, चौथा संशोधन विनियमों के आलोक में, इन विनियमों की अधिसूचना से 60 दिनों के भीतर, हितधारकों के परामर्श के पश्चात्, विस्तृत प्रक्रिया में समुचित पुनरीक्षण जारी करेगी और उसे आयोग की जानकारी के लिए प्रस्तुत करेगी।"

33. मूल विनियमों के उपाबंध–IV का संशोधन

33.1 मूल विनियमों के उपाबंध–IV में खंड (2) के पश्चात् एक नया खंड, अर्थात् खंड (2क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

"(2क) इन विनियमों के विनियम 4.7 के अंतर्गत आने वाली इकाई के लिए संयोजकता:

(क) ऐसे आवेदनों पर मार्जिन के भीतर गैर–सौर घंटा पहुंच मंजूर करने के लिए कार्रवाई की जाएगी, और ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए आईएसटीएस में कोई संवर्धन नहीं किया जाएगा।

(ख) इन विनियमों के विनियम 4.7 के अंतर्गत आने वाली इकाई, इन विनियमों के विनियम 4.1 के अंतर्गत आने वाली इकाई (जिसे मूल रूप से बे आबंटित किया गया है) के साथ, समर्पित पारेषण प्रणाली की साझेदारी के लिए, जिसमें ऐसी प्रत्येक इकाई को मंजूर संयोजकता की मात्रा के अनुपात में समर्पित पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए प्रभारों का संदाय सम्मिलित है, जो पक्षकारों के बीच परस्पर सहमत होगा, एक करार करेगी। साझेदारी करार संयोजकता की अंतिम मंजूरी के 6 मास के भीतर निष्पादित किया जाएगा और नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) इस उपाबंध के खंड (1) के उप–खंड (ख) से (ङ), (छ) से (ज) और (ट) से (ड) के अधीन उपबंध स्वतः लागू होंगे।

(घ) इन विनियमों के विनियम 4.7 के अंतर्गत आने वाली इकाई इन विनियमों के विनियम 40 के उपबंधों के अनुसार कॉन–बीजी और एकबारगी जीएनए प्रभार जमा करने के लिए दायी होगी।"

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./455/2026-27]

नोट:

(i) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) विनियम, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 364 में तारीख 19.07.2022 को प्रकाशित किए गए थे।

(ii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 229 में तारीख 06.04.2023 को प्रकाशित किए गए थे।

(iii) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 469 में तारीख 01.07.2024 को प्रकाशित किए गए थे।

(iv) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली से संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2025 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 622 में तारीख 09.09.2025को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2026

No. L-1/261/2021/CERC.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 178 and clause (ze) of sub-section (2) of Section 178 read with clause (47) of Section 2, clause (d) of sub-section (2) of Section 38, clause (c) of Section 40 and clause (c) of sub-section (1) of Section 79 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations") namely:

1. Short Title and Commencement

1.1. These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Fourth Amendment) Regulations, 2026 or 'fourth amendment regulations'.

1.2. These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. New Definition in Regulation 2.1

2.1. A new clause, namely, clause (b-i) shall be inserted after clause (b) in Regulation 2.1 of the Principal Regulations, as under:

"(b-i) "Authority" shall have the same meaning as defined in sub-section 6 of Section 2 of the Act;"

2.2. Four new clauses, namely, clause (w-i), clause (w-ii), clause (w-iii) and clause (w-iv) shall be inserted after clause (w) in Regulation 2.1 of the Principal Regulations, as under:

"(w-i) "Land BG" means Bank Guarantee furnished under clause (vii)(c) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations;

(w-ii) "Land BG route" means route covered under clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of these regulations;

(w-iii) "Land route" means route covered under clause (xi)(b) of Regulation 5.8 of these regulations;

(w-iv) "LoA route" or "PPA route" means route covered under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations;"

3. New Regulation 3.10

3.1. A new Regulation, namely, Regulation 3.10, shall be added after Regulation 3.9 of the Principal Regulations, as under:

"3.10 Notwithstanding anything contained in Regulations 3.7 to 3.9 of these Regulations, an entity shall be eligible to seek withdrawal of full Connectivity quantum (no partial withdrawal shall be permitted), subject to the following:

(a) For cases where final grant of Connectivity has been issued and the time period is two years or more;

(i) between the date of intimation of in-principle grant of Connectivity and the date of intimation of the final grant of Connectivity; or

(ii) between 'likely start date of connectivity' intimated in in-principle grant of Connectivity and start date of Connectivity intimated in final grant of Connectivity (tentative or firm);

And

the request for withdrawal is made to the Nodal Agency within a period of 45 days from intimation of final grant of Connectivity.

(b) For cases where final grant of Connectivity has not been issued even after lapse of two years from the date of intimation of in-principle grant of Connectivity, such entity may also seek withdrawal of full quantum of Connectivity under this Regulation, within a period of 45 days from lapse of two years from intimation of in-principle grant of Connectivity.

(c) The withdrawal shall be processed by the Nodal Agency within a period of 15 days from the date of the withdrawal application, with intimation to the Applicant.

(d) In case the withdrawal application is accepted by the Nodal Agency, all BGs (Conn-BGs and Land BG, as applicable) shall be returned.

(e) Application fee shall be forfeited on withdrawal of the Connectivity."

4. Amendment to Regulation 4.1 of the Principal Regulations:

4.1. The words ", with a minimum energy capacity (in MWh) as twice the Power capacity (in MW) or as notified by the Authority as per system requirement." shall be added at the end of clause (c) of Regulation 4.1 of the Principal Regulations.

5. Amendment to Regulation 4.2 of the Principal Regulations:

5.1. The words "and Regulation 5.11 of these regulations" shall be inserted after the words "Regulation 4.1" in Regulation 4.2 of the Principal Regulations.

6. New Regulations 4.7 and 4.8

6.1. New Regulations, namely, Regulation 4.7 and Regulation 4.8, shall be added after Regulation 4.6 of the Principal Regulations, as under:

"4.7 An REGS or ESS with an installed capacity of 50 MW and above individually or with an aggregate installed capacity of 50 MW and above through a Lead Generator or a Lead ESS, as the case may be, may seek Connectivity for non-solar hour access at substations other than those covered under Regulation 4.5(a) of these regulations. The application shall be processed as per clause 2A of Annexure-IV of these regulations. CTUIL shall publish a list of such substations along with the margin available for non-solar hours access and shall update the same on a monthly basis.

4.8 An application for grant of Connectivity with full day access under Regulation 4.1 of these regulations, may be converted to an application for 'solar hours access' or 'non-solar hours access' under these regulations based on the availability of margin declared during the consultation meeting. In such cases, once the applicant furnishes its written consent, the Nodal Agency shall process such application in terms of the applicable provisions for grant of Connectivity with solar hour access or non-solar hour access, as the case may be. The vice versa shall also be applicable."

7. Amendment to Regulation 5.1 of the Principal Regulations:

7.1. A new proviso shall be added after the second proviso to Regulation 5.1 of the Principal Regulations, as under:

"Provided also that the capacity for meeting technical compliances at the Point of Injection (POI) (as confirmed by the Nodal Agency after studies) shall not be counted under installed capacity for the purpose of seeking Connectivity at ISTS."

8. Amendment to Regulation 5.2 of the Principal Regulations:

8.1. The words "(along with application fees *of* Rs. 5 lakh for the capacity 50MW and above, and Rs. 1 lakh for the capacity less than 50MW, with applicable taxes)" shall be inserted after the words "shall make an application" in clause (a) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations.

8.2. The words "(in case of Land BG, it may be furnished by the existing Connectivity grantee or the entity installing the additional capacity)" shall be added at the end of clause (h) of Regulation 5.2 of the Principal Regulations.

8.3. Four new clauses, namely, clause (l), clause (m), clause (n) and clause (o), shall be added after clause (k) under Regulation 5.2 of the Principal Regulations, as under:

"(l) In case additional capacity is an ESS, such ESS may install REGS for the purpose of charging such ESS only. The installed capacity of such REGS shall be indicated in the application and the requirement of documents under Regulation 5.8 or Regulation 11A for Land or Financial Closure shall not be applicable for such REGS.

(m) In case the existing Connectivity Grantee relinquishes the Connectivity or its Connectivity is revoked, for the full quantum of Connectivity, the connectivity of capacity under Regulation 5.2 of these regulations shall also stand relinquished or revoked. However, if the existing Connectivity grantee relinquishes a part quantum of Connectivity or its partial Connectivity is revoked, the Connectivity of capacity under Regulation 5.2 of these regulations shall be restricted to the balance Connectivity quantum and the remaining quantum, if any, shall be revoked.

(n) In case additional capacity is for meeting technical compliance clauses (e), (g), (h), (i) of this Regulation shall not be applicable for such capacity.

(o) In case the additional capacity which is not covered under clause (n) of this Regulation and which does not result in additional solar hour access or non-solar hour access, clauses (e), (h) and (i) of this Regulation shall not be applicable for such capacity:

Provided that clause (i) shall be applicable to the extent of achieving the CoD of such additional capacity in terms of Regulation 24 of these regulations."

9. Amendment to Regulation 5.6 of the Principal Regulations:

9.1. The words "[application under Regulation 4.1(e)]" in the main paragraph of Regulation 5.6 of the Principal Regulations shall be deleted.

10. Amendment to Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

10.1. The words "or sub-lease documents (where lease permits sub-lease)," shall be inserted after the words "land use rights", and the following proviso shall be added after the first proviso, in sub-clause (b) of clause (vii) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

"Provided further that such sub-lease documents shall be permitted only (i) between Parent and subsidiary(ies) and vice versa or between subsidiary(ies) of the same Parent or (ii) in the case where

leased Government land is sub-leased to other entity under Government policy."

10.2. Proviso (ii) and (iii) to clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(ii) In case of the Applicant being multi-located REGS, where single LOA or PPA provides for establishment of projects at multiple locations, the applicant shall be eligible to obtain Connectivity based on such LoA or PPA, at one or more locations, upto the quantum for which LoA has been awarded or PPA has been executed or Installed capacity provided in the LOA or PPA at such location, whichever is lower. In case Connectivity is sought using part quantum of LOA or PPA and part quantum of Land or Land BG at any of the locations (under sub-clause (iii) of this Proviso), the quantum of LOA or PPA to be used at such location shall be exhausted first upto the Connectivity quantum, before the balance quantum of LoA or PPA, if any, can be utilised for another location. For the balance capacity, if any, at any such location where the balance quantum of LOA or PPA falls short of the installed capacity at such location and for capacity at other locations provided in the LOA or PPA, the applicant shall be eligible to seek the additional Connectivity under Regulation 5.8(xi)(b) or Regulation 5.8(xi)(c) of these regulations.

Note: Multi-located REGS shall mean REGS located in one or more States, and connected at different substations.

Illustration:

An entity got an LOA for 1000 MW contracted capacity with the following configuration:

Location Number	Installed Capacity and source	Location	Eligibility	Remarks
1.	600 MW Solar	Rajasthan	600 MW connectivity can be taken at location no. 1 using LOA	Entity shall not be eligible to seek Connectivity for <600 MW using LOA in case it wishes to seek connectivity for a total of 600 MW at this location using land or land BG for part quantum
2	500 MW Wind	AP	400 MW connectivity can be taken using LOA, and for 100 MW, land or	Entity shall not be eligible to seek Connectivity for <400 MW (LOA quantum – connectivity sought at Location No.1) using LOA in case it wishes to

			Land BG to be furnished	seek connectivity for a total of 400 MW or above at this location using land or land BG for part quantum
3.	200 MW Solar	Telangana	Land or Land BG	

(iii) For an Applicant covered under sub-clauses (i) and (ii) of this clause, where LOA or PPA quantum is less than Installed capacity mentioned in the LoA at the location at which Connectivity has been sought based on such LoA and the entity wishes to seek Connectivity for a quantum more than LOA or PPA quantum at such location, it may apply through a single application with LOA or PPA for part quantum and with documents based on clause (b) or clause (c) of Regulation 5.8(xi) of these regulations for the balance quantum of Connectivity for such location. The Nodal Agency shall process the grant of such Connectivity at such location, treating the full quantum of Connectivity sought as a single generating station, where SCOD for such generating station shall be considered based on LOA or PPA at such location. The compliance of the land documents under Regulation 11A of these regulations shall be met for the quantum of Connectivity covered under clauses (b) or (c) of Regulation 5.8(xi). The SCOD for such a generating station at any such location, for the purpose of Regulation 24.6(1)(a) of these regulations shall be that of LOA or PPA."

10.3. The words "or sub-lease documents (where lease permits sub-lease)," shall be inserted after the words "land use rights", and the following proviso shall be added after the first proviso in sub-clause (b) of clause (xi) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations:

"Provided further that such sub-lease documents shall be permitted only (i) between Parent and subsidiary(ies) and vice versa or subsidiary(ies) of the same Parent or (ii) in the case where leased Government land is sub-leased to other entity under Government policy."

10.4. A new proviso shall be added to clause (xi)(c) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations, as under:

"Provided that in case the Applicant is an ESS (excluding Pumped Storage Plant (PSP)), the Bank Guarantee shall be Rs. 5 lakh/MW."

10.5. The words "or Renewable Power Park Developer," shall be inserted after the words "ESS (excluding Pumped Storage Plant (PSP))" in the main paragraph of clause (xii) of Regulation 5.8 of the Principal Regulations.

11. Amendment to Regulation 5.10 of the Principal Regulations:

11.1. A proviso shall be added in clause (f) of regulation 5.10 of the Principal Regulations, as under:

"Provided that a second change of land parcels shall be permitted in terms of Regulation 9.3.5 of these regulations."

12. Amendment to Regulation 5.11 of the Principal Regulations:

12.1. The words "(400MWh)" shall be inserted after the words "ESS- 200MW" in Example, and following proviso shall be added under clause (c) of Regulation 5.11 of the Principal Regulations:

"Provided that ESS with such REGS shall have minimum energy capacity (in MWh) as twice of its Power capacity (in MW) or as notified by the Authority as per system requirement, failing which such REGS shall not have injection scheduling rights under GNA for ESS during non-solar hours."

13. Amendment to Regulation 6.3 of the Principal Regulations:

13.1. Regulation 6.3 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"6.3 The Nodal Agency shall close the application(s) and return all the Bank Guarantees furnished, if any, along with full application fee in the following conditions:

(a) Nodal Agency is unable to carry out the interconnection study to identify the requirement of augmentation to the existing ISTS, if any, on account of Load Generation Balance or other associated issues for enabling transfer of power over ISTS under General Network Access.

(b) The identified augmentation (with or without ATS) is not approved by the authority competent to approve such augmentation.

(c) The closure of the application shall be in accordance with the Detailed Procedure to be formulated by the Nodal Agency in consultation with the relevant stakeholders."

14. Amendment to Regulation 7.2 of the Principal Regulations:

14.1. The words ", or within 30 days from the approval of the identified augmentation by the authority competent to approve such augmentation, whichever is later" shall be added at the end of the main paragraph of Regulation 7.2 of the Principal Regulations.

15. Amendment to Regulation 9.3 of the Principal Regulations:

15.1. The words "18 months prior to the firm start date of Connectivity" shall be substituted with the words "6 months prior to the firm start date of

Connectivity" in sub Regulation 9.3.1 of Regulation 9.3 of the Principal Regulations.

15.2. The following provisos shall be added under sub Regulation 9.3.5 of Regulation 9.3 of the Principal Regulations, as under:

"Provided that a second source change shall be permitted with a fee of Rs 20,000/MW (for the gross change of capacity of source) or Rs. 10 lakhs per application, whichever is higher:

Provided further that in case the second source change requires change of land parcel and one change of land parcel (as permitted in terms of Regulation 5.10) is already exhausted, the second change in land parcels shall be permitted with a combined fee of Rs. 25,000/MW (for the gross change of capacity of source) or Rs. 10 lakhs per application, whichever is higher:

Provided also that the applicable fee shall be intimated by the Nodal Agency along with the permission for source change, which shall be furnished by the entity within fifteen (15) days of the date of such intimation, failing which permission for change of source shall stand revoked.

Illustration: Suppose an entity has been granted Connectivity for 400 MW under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 and has the Installed capacity as 300 MW: Solar, 300 MW: Wind.

Suppose the entity seeks a first source change as 400 MW: Solar, 200MW: Wind and 50MW: ESS. After the first source change, the entity shall have connectivity of 400MW with injection scheduling right for 400MW in solar hours and for 250MW during non-solar hours (considering 200 MW Wind and 50 MW ESS).

Case-1: Suppose the second change of source is sought as: Installed Capacity: 500 MW Solar, 100 MW Wind and ESS 100 MW. In such case the, gross change in source is 200 MW (|400-500| + |200-100| = 200 MW) and, the applicable fee shall be Rs 40 lakhs (200 X Rs 20000) for such change. In case solar hour access shall be 400 MW and non- solar access shall be 200 MW, considering addition of 50 MW ESS

Case-2 : Where both, i.e., land parcels change and source change, are required-

In the above example, the applicable fee shall be Rs 50 lakhs (200 X Rs 25000) for such a change.

Note: Approval of land parcel changes and source change shall be processed in terms of Regulation 5.10 and Regulation 9.3, respectively."

16. Amendment to Regulations 11A of the Principal Regulations:

16.1. The words "in-principle grant of Connectivity or" shall be inserted before the words "final grant of connectivity has been intimated at an ISTS substation" in the first proviso to clause (1) of Regulation 11A of the Principal Regulations.

16.2. A new Clause, namely, clause (1A) shall be inserted after Clause (1) of Regulation 11A of the Principal Regulations, as under:

"(1A) A Connectivity Grantee which is REGS (other than Hydro generating station) or ESS (excluding PSP) covered under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 shall submit documents for land in terms of sub-clause (b) of clause (xi) of Regulation 5.8 of these regulations, within 60 days of the effective date of GNA, if not furnished already in terms of sub-clause (iv) of clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations."

16.3. Clause (2) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(2) A Connectivity Grantee which is REGS (other than Hydro generating station), ESS (excluding PSP) or Renewable power park developer shall furnish the financial closure documents (copy of loan sanction letter or proof of first disbursal of loan amount or copy of Board resolution, if internal funding is planned for 100% of the project cost, along with net worth and other details as per the Detailed Procedure to be issued by the Nodal Agency) for the capacity of such Connectivity, within 30 days of the effective date of GNA:

Provided that if the entity has already achieved the CoD of the full capacity as on the last date of furnishing financial closure documents in terms of this Clause, such entity shall not be required to furnish the financial closure documents."

16.4. The main paragraph of clause (4) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(4) An entity, which has applied for Connectivity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 and has been issued in-principle or final grant of Connectivity, furnishes a PPA, as eligible under clause (xi)(a) of Regulation 5.8, (entered into by itself or its subsidiary company or its Parent company or any other subsidiary of the Parent company of such entity, as the case may be), either for part capacity or full capacity, may apply to the Nodal Agency for conversion of its Connectivity under clause (xi)(b) or clause (xi)(c) of Regulation 5.8 to clause (xi)(a) of Regulation 5.8, subject to the following:"

16.5. The words "LOA or" in the main paragraph of sub-clause (a) of clause (4) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be deleted.

16.6. A new sub-clause (v) shall be added after sub-clause (iv) under clause (4)(c) of Regulation 11A of the Principal Regulations, as under:

"(v) If Connectivity quantum remaining under Land route or Land BG route after conversion to PPA route is less than 50 MW, such remaining quantum shall be treated as relinquished with return of Conn-BG3 and Land BG, if any, for such relinquished quantum and Conn-BG1 and Conn-BG2, as applicable, shall be retained against the converted quantum of Connectivity."

16.7. Two new sub-clauses, namely, sub-clause (h) and sub-clause (i) shall be inserted after sub-clause (g) under clause (4) of Regulation 11A of the Principal Regulations, as under:

"(h) The conversion from Land route or Land BG route, to PPA route, shall be in accordance with the provisions of clause (xi)(a) of Regulation 5.8 including the provisions under clauses (i) to (iii) of the proviso to clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations.

(i) An entity may seek conversion of route of multiple applications under Land BG route or Land route (including enhancement application) as an application under PPA route, where such multiple applications have been granted at the same terminal bay or same substation. Such conversion shall be in terms of clause (ii) of Proviso to clause (xi)(a) of Regulation 5.8 and clause (4) of Regulation 11A of these regulations."

16.8. Clause (5) of Regulation 11A of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(5) The conditions subsequent to the intimation of in-principle grant of Connectivity or final grant of Connectivity, required to be completed under Regulation 11A and achieving COD shall be met, either by the entity to which the in-principle or final grant of Connectivity is issued, or by its Parent company or its subsidiary company(ies) or by any other subsidiary company(ies) of the Parent company of such entity, as the case may be. All the responsibilities under these regulations shall continue to be with the entity to which in-principle or final grant of Connectivity is issued, including submission of documents inter-alia for PPA or Land or Financial closure as applicable. The documents required to be submitted to the Nodal Agency shall include an authorisation issued by the entity in whose name the documents of PPA or Land or Financial Closure or COD are furnished, enabling the entity which is issued in-principle or final grant of Connectivity to furnish the same to the Nodal Agency."

16.9. Following words shall be inserted after the words "Clause (1) of Regulation 11A of these regulations," in Clause (1) of Regulation 11B of the Principal Regulations:

"or an entity covered under clause (xi(a)) of Regulation 5.8, fails to submit the documents in accordance with clause (1A) of Regulation 11A of these regulations,"

17. Amendment to Regulations 15.1 of the Principal Regulations:

17.1. The words "and 15.3" shall be substituted with the words "to 15.5" in the main paragraph of Regulation 15.1 of the Principal Regulations.

18. Amendment to Regulations 15.3 of the Principal Regulations:

18.1. The words "implementing the REGS (whose documents were furnished by the Connectivity Grantee for meeting compliance of Financial Closure and COD under Regulation 11A(5) of these regulations)" shall be substituted with the words "achieving the CoD" in the main paragraph of Regulation 15.3 of the Principal Regulations.

19. New Regulations 15.4 and 15.5

19.1. Two new Regulations, namely, Regulation 15.4 and Regulation 15.5 shall be added after Regulation 15.3 of the Principal Regulations, as under:

"15.4 The Regulations 15.1 to 15.3 of these regulations shall be subject to the permitted change in control under clause (6) of Regulation 11A of these regulations.

15.5 If the generating station or ESS which has achieved COD is transferred to or acquired by another entity, the Connectivity for such generating station or ESS which has achieved COD shall also be transferred to the entity to whom the generating station or ESS has been transferred to or acquired by. In case Conn-BGs are subsisting, the generating station or ESS may substitute Conn-BGs in the name of the entity to whom such generating station or ESS has been transferred to or acquired by. The Nodal Agency shall carry out consequential changes in the Connectivity Agreement to incorporate such transfer."

20. Amendment to Regulations 16.2 of the Principal Regulations:

20.1. The words "in five equal parts over five years corresponding to the generation" shall be substituted with the words "within one week after expiry of one year from the declaration of COD of the corresponding" in Regulation 16.2 of the Principal Regulations.

21. Amendment to Regulation 17.1 of the Principal Regulations:

21.1. Clause (iv) under Regulation 17.1 of the Principal Regulations shall be deleted.

22. New Regulation 17.5 of the Principal Regulations:

22.1. A new Regulation, namely, Regulation 17.5, shall be added after Regulation 17.4 of the Principal Regulations, as under:

"17.5 Dual Connection for drawee entities: to the ISTS and intra-state transmission system or distribution system

(1) A drawee entity having connectivity to an intra-State transmission system or distribution system may seek to connect to ISTS directly as an applicant under Regulation 17.1(iii), for part quantum (not less than 50MW) or full quantum of the drawal capacity for which it is already having Connectivity to an intra-state transmission system or distribution system along with consent of the concerned STU and Distribution Licensee, as applicable, clearly specifying the quantum of Connectivity to STU or Distribution system, as the case may be. Such an entity shall continue to pay the applicable charges under the Act and regulations framed therein for both the connections. Such applicable charges may include Cross Subsidy Surcharge (CSS), additional surcharge, transmission charges, wheeling charges, standby charges, or any other charges approved by the Appropriate Commission. The concerned STU and Distribution Licensee may process the application for consent in a time-bound manner such that open access is facilitated.

(2) A GNA grantee covered under Regulation 17.1(iii) of these regulations may get connected to the intra-state transmission system or the distribution system for part quantum or full quantum of GNA granted under Regulation 17.1(iii) of these regulations, in terms of the concerned State Regulations, after obtaining consent of the Nodal Agency that such a connection is technically feasible and subject to payment of applicable charges under the Act and regulations framed therein for both the connections. Such entity shall confirm the quantum of Connectivity to STU or the Distribution system, as the case may be, to the nodal agency.

(3) The provisions under clauses (1) and (2) of this Regulation shall not be applicable to entities having GNA_{RE} unless GNA_{RE} is converted to GNA."

23. Amendment to Regulation 20.2 of the Principal Regulations:

23.1. Regulation 20.2 of the Principal Regulations shall be deleted.

24. Amendment to Regulation 22.2 of the Principal Regulations:

24.1. The words "Regulation 16" shall be substituted with the words "Regulations 16.1 to 16.4" in clause (b-ii) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations.

24.2. Clause (c) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations shall be deleted.

24.3. Main paragraph of clause (d) of Regulation 22.2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(d) Entities covered under Regulation 4.1 and clause (iii) of Regulation 17.1 of these regulations shall furnish one-time GNA charge of Rs. One lakh per MW for the quantum of GNA within 15 days of the effective date of the GNA. In case such charges are not furnished by the entity within the specified timeline, the same shall be recovered by encashment of Conn-BG1, Conn-BG2 and Conn-BG3 as required. In case no Conn-BGs are subsisting, and the entity does not furnish the required charges, such entity shall not be eligible for carrying out any transactions with the Grid till the charges are furnished by the entity. The proceeds of such one-time GNA charge shall be used for reducing Monthly Transmission Charges under the Sharing Regulations:"

25. Amendment to Regulation 22.4 of the Principal Regulations:

25.1. A new proviso shall be added after the second proviso to clause (a) of Regulation 22.4 of the Principal Regulations, as under:

"Provided also that in case an element of augmentation or terminal bay is executed under Regulated Tariff Mechanism mode, and the licensee implementing such element has approached CTU for completion certificate under Regulation 27(1)(c) of the Grid Code, for purpose of deemed COD, the Nodal Agency shall consider the date of issuance of certificate of completion by CTU under the Grid Code for such element for the purpose of date of effectiveness of the GNA, which shall be subject to revision as decided while approving such deemed COD by the Commission."

26. New Regulation 23A

26.1. A new Regulation, namely, Regulation 23A, shall be added after Regulation 23.3 of the Principal Regulations, as under:

"**23A Transfer of GNA**

(a) An entity, may seek transfer of GNA, which has been granted GNA under clauses (ii) to (v) of Regulation 17.1 of these regulations, for drawal at a single point for identified load (specified in the GNA grant), where such load is connected to the intrastate transmission system or distribution system or ISTS, and where such load is itself transferred to or acquired by another entity. The GNA shall be transferred to such new entity owning the load, subject to the condition that such transfer shall be permitted only after the GNA is effective.

(b) In case STU has been granted GNA under clause (i) of Regulation 17.1 of these regulations on behalf of an entity, for drawal at a single point for identified load (specified in the GNA grant), and where such load is itself transferred to or acquired by another entity, such entity, through STU, may seek transfer of GNA to the new entity owning such load, after GNA is effective.

(c) An entity, may seek transfer of GNA, which has been granted GNA under clause (vi) of Regulation 17.1 of these regulations, and where such generating station or ESS is transferred to or acquired by another entity. The GNA shall be transferred to such new entity owning the generating station or ESS, subject to the condition that such transfer shall be permitted only after the generating station or ESS has declared commercial operation and the GNA is effective.

(d) Such transfer shall be processed after clearing all dues, if any, by the entity to whom GNA was granted.

(e) Conn-BGs shall be substituted in the name of the entity to whom such GNA is sought to be transferred.

(f) The Nodal Agency shall carry out consequential changes in the GNA Agreement to incorporate such transfer, as applicable."

27. Amendment to Regulation 26.1 of the Principal Regulations:

27.1. Clause (b) of Regulation 26.1 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(b) Trading licensee on behalf of (i) buyer(s) covered under clause (a) of this Regulation, or (ii) an injecting entity or ESS connected to an intra-State transmission system or distribution system for the purpose of injection into ISTS, or (iii) an entity covered under clause (e) of this Regulation."

27.2. The words ", or (iii) an injecting entity or ESS connected to an intra-State transmission system or distribution system for the purpose of injection into ISTS, or (iv) an entity covered under clause (e) of this Regulation" shall be added at the end of clause (c) of Regulation 26.1 of the Principal Regulations.

27.3. The words "Regulation 5.11" shall be substituted with the words "Regulation 4.7 or Regulation 5.11" in the main paragraph of clause (e) of Regulation 26.1 of the Principal Regulations.

28. Amendment to Regulation 28.5 of the Principal Regulations:

28.1. The proviso to sub-clause (iv) of clause (a) of Regulation 28.5 of the Principal Regulations shall be deleted.

29. Amendment to Regulation 37.6 of the Principal Regulations:

29.1. The words "in five equal parts over the next five years starting from the year when such GNA becomes effective" shall be substituted with the words "within one week after expiry of one year from the date of effectiveness of GNA" in the main paragraph of subclauses (a) and (b) of clause (1) and in the main paragraph of clause (2) of Regulation 37.6 of the Principal Regulations.

30. Amendment to Regulation 37.10 of the Principal Regulations:

30.1. The word "Connection Agreement" shall be substituted with the word "Connectivity Agreement" in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (b) of Regulation 37.10 of the Principal Regulations.

31. New Regulation 37.11

31.1. A new Regulation, namely, Regulation 37.11, shall be added after Regulation 37.10 of the Principal Regulations, as under:

"37.11 Transition provisions in respect of the fourth amendment regulations:

(a) For cases covered under Regulation 3.10, where such 45days from the date of intimation of final grant of Connectivity (covered under Regulation 3.10(a) or 30 days after lapse of two years from the date of intimation of in-principle grant of Connectivity (covered under Regulation 3.10(c)), have already elapsed, such entities shall be eligible to seek full withdrawal of Connectivity quantum within a period of 30 days from the date of effectiveness of the fourth amendment.

(b) For the cases where one year from the declaration of CoD is over as on the date of effectiveness of the fourth amendment to these regulations, the Nodal Agency, within one month of effectiveness of this Regulation, shall return the subsisting Conn-BG2 and Conn-BG3 for the corresponding generation capacity which has been declared under commercial operation, subject to clearing the dues of transmission charges, in terms of the Sharing Regulations, if any.

(c) If the additional GNA has been granted under clauses (1)(a) and (1)(b) of Regulation 37.6 of these regulations, and one year from the date of effectiveness of the GNA is over as on the date of effectiveness of the fourth amendment regulations, the Nodal Agency, within one month of effectiveness of this Regulation, shall return the subsisting Conn-BG2 and Conn-BG3, as the case may be, subject to clearing the dues of transmission charges in terms of the Sharing Regulations, if any.

(d) For the cases, where the application for grant of Connectivity have been submitted to the Nodal Agency prior to the effectiveness of the

fourth amendment regulations and the same are covered under clause (a) of Regulation 6.3 of these regulations, such application(s) shall be treated in terms of the Detailed Procedure notified under clause (c) of Regulation 6.3 of these regulations.

(e) For the cases where the entity has been issued in-principle or final grant of connectivity prior to the effectiveness of the fourth amendment regulations and the same are covered under clause (b) of Regulation 6.3 of these regulations, such application(s) shall be treated in terms of Detailed Procedure notified under clause (c) of Regulation 6.3 of these regulations.

(f) For the case where the entity is covered under clause (xi)(a) of Regulation 5.8 of these regulations and where the last date of furnishing of Financial Closure Documents under clause (2) of Regulation 11A of these regulations falls within two months of the date of effectiveness of the fourth amendment to these regulations but the duration of 6 months prior to the SCOD as per LoA or SCOD or extended SCOD as per PPA falls beyond these two months, such entity shall be given additional two months beyond the last date as per clause (2) of Regulation 11A of these regulations for furnishing of the Financial Closure Documents."

32. Amendment to Regulation 39.1 of the Principal Regulations:

32.1. The following new proviso shall be added in Regulation 39.1 of the Principal Regulation:

"Provided that the Nodal Agency shall submit the detailed procedure in respect of Regulation 24.6 of these regulations including for entities covered in clause (m) of Regulation 5.2 and covering the aspect of the change in the Installed Capacity and energy source of the project (along with the submission of a reasonable fee in case of change in Installed capacity), for the treatment of Connectivity, solar hour access and non-solar hour access, Conn-BGs, etc in case of revocation or relinquishment part quantum of Connectivity, after stakeholders' consultation within 60 days of notification of the fourth amendment regulations for approval of the Commission:

Provided that the Nodal Agency shall issue the appropriate revision in the Detailed Procedure in light of the fourth amendment regulations, within 60 days of notification of these regulations, after stakeholders' consultation and shall submit the same for the information of the Commission."

33. Amendment to Annexure-IV of the Principal Regulations:

33.1. A new clause, namely, clause (2A) shall be added after clause (2) in Annexure-IV of the Principal Regulations, as under:

"(2A) Connectivity for an entity covered under Regulation 4.7 of these regulations:

(a) Such applications shall be processed to grant non-solar hours access within margins, and no augmentation to ISTS shall be carried out for processing such applications.

(b) Entity covered under Regulation 4.7 of these regulations shall enter into an agreement with entity covered under Regulation 4.1 of these regulations (which has originally been allocated the bay), for sharing of the dedicated transmission system including payment of charges towards using the dedicated transmission system in proportion to the quantum of Connectivity granted to each of such entities which shall be mutually agreed between the parties. The sharing agreement shall be executed and submitted to the Nodal Agency within 6 months of the final grant of Connectivity.

(c) Provisions under sub clauses (b) to (e), (g) to (h) and (k) to (m) of clause (1) of this Annexure shall be applicable ipso facto.

(d) Entity covered under Regulation 4.7 of these regulations shall be liable for submission of Conn-BGs and one time GNA charges as per the provisions of Regulation 40 of these regulations."

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./455/2026-27]

Note:

(i) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2022, were published on 19.07.2022 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 364.

(ii) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (First Amendment) Regulations, 2023 were published on 06.04.2023 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 229.

(iii) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Second Amendment) Regulations, 2023 were published on 01.07.2024 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 469.

(iv) The Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Third Amendment) Regulations, 2025 were published on 09.09.2025 in Part III, Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) No. 622.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA